गृहस्थल योजना

गृहस्थल योजना के अंतर्गत गृहविहीनों को बासगीत हेतु 3 डी0 जमीन उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु सरकारी जमीन की अनुपलब्धता की स्थिति में भू-अर्जन क्रय कर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही गृह विहीनों को गृह स्थल हेतु भूमि बन्दोबस्ती में निःशक्त व्यक्तियों को 03 (तीन) प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा तथा उनके द्वारा सलामी देय नहीं होगी। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की संख्या 815 है तथा वर्ष 2010-11 में इस मद में विभिन्न जिलों को 500 लाख रूपया आवंटित किया गया है। वितरित जमीन का दाखिल-खारिज एवं इससे संबंधित आनुषंगिक अग्रतर कार्रवाई त्वरित गति से करने का निदेश दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में 1500.00 लाख रूपए का आवंटन राज्य के जिलों को उपलब्ध कराया गया है। अबतक जिलों द्वारा कुल-204.00 लाख रूपए का व्यय कर कुल-1022 परिवारों को इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराई गई है।